25.11.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। [illegible]
प्राप्त हो गया है, जो दर्ज-रजि. किया जाता।
वकील वादी द्वारा [illegible] द्वारा प्रस्तुत [illegible]
वाद पत्रावली के प्रस्तुत [illegible] आवेदन
आवेदन के आधार पर वाद निरस्त करने
का निवेदन किया गया। [illegible]
वकील वादी की सुनी गई।

मैंने द्वारा पत्रावली का अवलोकन से अवलोकित
किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
आवेदन पत्र के आधार पर वादी का वाद
स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होने से
स्वीकार किया जाता है, विरुद्ध विपक्षी
पूर्ववत निरस्त किया जाकर [illegible] किया
जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप ...

निर्णय बइजलास रामावतार मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा राज

तारीख दायरा दिनांकः– 31.1.2024

प्रकरण संख्या–09/2024

निर्णय दिनाक–25.11.2024

उनवान

सत्यनरायण आयु 50वर्ष पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान । वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान । प्रतिवादी

दावा बाबत धारा 88,89,209 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः—श्री मोहनलाल पोटर एडवोकेट वादी की ओर से

श्री पेरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हे कि वादी ने वाद इस आशय का पेश किया कि वादी के संयुक्त खाते एवम् कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 241पुरानी 242खसरा नम्बर 677रकबा 0.19 हे.खसरा नम्बर678 की 0.35 हे.कुल किता 2 की 0.5400 हेक्टर व खाता सख्या नई 242 पुरानी 243 खसरा नम्बर 675 की 0.2000हे. कुल किता 1 की 0.2000 हेक्टर व खाता सख्या नई 243 पुरानी 244 की खसरा नम्बर 676की 0.1100हे.खसरा नम्बर 682 की0.4300हे.कुल किता 2 की 0.5400 हेक्टर आराजी वादी की नाबालिक अवस्था मे वादी के पिता द्वारा खरीद शुदा आराजी हे उक्त आराजी मे वादी का बचपन का बोलता नाम सत्यप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा वादी के पिता द्वारा लिखवाया हे जबकि वादी का सही नाम जो वादी के आधार कार्ड,पेन कार्ड,जन आधार,राशन कार्ड, बैंक खाता ,मतदाता पहचान पत्र व अन्य पुश्तेनी आराजी मे वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान दर्ज हे, वादी ने गत वर्ष तार बन्दी के लिए आवेदन करने ईमित्र कियोस्क पर गया

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

तो ईमित्र कियोस्क संचालक ने आधार कार्ड व बैंक खाते मे नाम व जन आधार मे व अधिकार अधिकार अभिलेख मे एक समान नाम होने पर तार बन्दी की योजना का लाभ मिलने की कही थी इसके बाद वादी पटवार हल्का श्यामपुरा के पास गया तो उन्हाने प्रतिवादी के पास जाने की कही वादी प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी ने अदालत मे दावा करने की कही हे इसके बाद वादी के लिए आवश्यक हो गया हे कि वादी अपने वाद पत्र मद नं. 1 मे वर्णित आराजी मे से गलत नाम को सही करवाये जिसके लिए प्रतिवादी ने साफ मना करने से यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया गया हे सत्यप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा खातेदार वादी के अशुद्व नाम को बदलकर शुद्व नाम जो वादी के आधार कार्ड,पेन कार्ड,जन आधार,राशन कार्ड, बैंक खाता ,मतदाता पहचान पत्र व अन्य पुश्तेनी आराजी मे वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान दर्ज हे करवाना ही वाद पत्र की विषय वस्तु हे , वाद कारण दिनांक 3/1/2024 को कम्पयूटर की जमा बन्दी की नकल निकलवाने के बाद प्रतिवादी से अशुद्व नाम को शुद्व करने की कहने पर प्रतिवादी द्वारा अशुद्व नाम को शुद्व नही करने के कारण से वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ हे, विवादित आराजी माल ग्राम श्यमपुरा तह. सांगोद जिला कोटा राज.मे स्थित होने से वाद का श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है,वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है अतःवाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन हे कि वादी के पक्ष मै व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर इन्द्राज दुरस्त कर डिकी सादिर पारित उक्त आराजी मे दर्ज वादी का नाम सत्यप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा अशुद्व नाम को बदलकर शुद्व नाम सत्यनारायण पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान दर्ज करने की कृपा करे इत्यादि पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात तलबी की गई प्रतिवादी ने जवाब व रिपोर्ट पेश की तथा राज हित प्रभावित नही होना स्वीकार किया पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादी के वाद पत्र व दस्तावेजात से व प्रतिवादी के जवाब दावे से यह जाहिर होता हे वादी के वाद पत्र मे जो कथन किये हे वह सत्य प्रतीत होते ऐसी स्थिति मे वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अन्तिम रू५ से स्वीकार कर डिकी किया जाता हे एवं आदेश दिया जाता हे कि माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 241पुरानी 242खसरा नम्बर 677रकबा 0.19 हे.खसरा नम्बर678 की 0.35 हे.कुल किता 2 की 0.5400 हेक्टर व खाता सख्या नई 242 पुरानी 243 खसरा नम्बर 675 की 0.2000हे. कुल किता 1 की 0.2000 हेक्टर व खाता सख्या नई 243 पुरानी 244 की खसरा नम्बर 676की 0.1100हे.खसरा नम्बर 682 की0.4300हे.कुल किता 2 की 0.5400 हेक्टर आराजी मे वादी का नाम सत्यप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा अशुद्व नाम को बदलकर शुद्व नाम सत्यप्रकाश उर्फ सत्यनारायण पुत्र बालचन्द जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान आदेश दिया जाता हे निर्णय खुले तदनुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी की जावे पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफतर की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 25/11/24 को खुले न्यायालय मे मेरे हस्ताक्षर ओर कार्यालय मुद्रा से लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय मुद्रा

रामावतार मीणा आर.ए.एस
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner